

9.7.19

Xb + 1888

Prabh Singh

(अधिवक्ता)

राज्य)

9-7-19

पंजावली पेश हुई, वकूलाथ फरिक्केन उपस्थित,  
वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मैं अपने प्रा

पत्र को मोर प्रेस में खारिज करवाना चाहता हूँ। अतः

प्रार्थना पत्र को मोर प्रेस में खारिज फरमाया जावे।

मैंने पंजावली का अवलोकन किया। न्यायहित में

वकील प्रार्थी को सुना गया, वकील प्रार्थी का प्रार्थना

पत्र में अब और कोई कार्यवाही नहीं चाहने से

प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर मोर प्रेस में खारिज

किया जाता है।

पंजावली फैसल नुमार होकर दफ्तर दारिखत हो।

उपखण्ड अधिकारी

गांडल जिला मालवाड़ा